न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	पत्रावली पेश हुई। [illegible] दिनांक 08.02.23 को पेश हो।
08.02.2023 No Instruction 8/2/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4, 5 ता 8 की ओर से वकील प्रतिवादी श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत एड0 ने "No Instruction" होना पत्रावली की आदेशिका पर अंकित किया। जिसके आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4, 5 ता 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 13 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर वादपत्र को स्वीकार कर लिये जाने से वकील वादीगण ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील वादीगण ने वाद पत्र के विभाजन से सम्बन्धित होने से पक्षकारान् के हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एंव बाउण्ड्स विधिक विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में वकील वादीगण ने वाद पत्र के विभाजन से सम्बन्धित होने से वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी कर वादीगण व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग–अलग सीवं कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मॅगवाये जाने बाबत सहमति व्यक्त की। जिस पर बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण की [illegible] प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में [illegible] के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से व खातेदारी में [illegible] वादी नं. 1 का 1/4 हिस्सा व वादी नं. 2 का 1/4 [illegible]सा संतुलनात्मक व रास्ते सुविधा सहित व हिस्से अनुसार बाई मिट्स एंव बाउण्ड्स उनके मध्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.14 12:53:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
विधिक तकासमा किया जाकर अलग–अलग खातेदार काश्तकार दर्ज करते हुए प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जावे। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री का निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रारम्भिक डिक्री के निर्णयानुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 की नियमानुसार पालना करते हुए एंव माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा पारित निर्णय 2017 आर. आर. टी. पेज 689 में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार उभय पक्षों को सूचना देकर विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार से तैयार करवाकर एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/ न्याया/ स्था /प – 51 / 2008/ विविध/10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार तैयार किये जाकर कुरेजात रिपोर्ट मँगवाये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। वास्ते प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त होने विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पत्रावली दिनांक 16.03.2023 को पेश हो। 08/03/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.14 12:53:12 IST
Reason: SelfAttested